न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/104

1. रमेश आयु 45 वर्ष आत्मज मोडूलाल जाति मेघवाल निवासी झरबालापुरा ।
2. जगदीश आयु 42 वर्ष आत्मज मोडूलाल जाति मेघवाल निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 25.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उप जिलाधीश, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.1993 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि मुस0 गुलाब बेवा मोडू जाति मेघवाल को ग्राम झरबालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 07 बीघा भूमि दिनांक 04.11.1977 को कीमतन आवंटित की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश अपने आदेश दिनांक 08.02.1993 के द्वारा खारिज कर दिया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.1993 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आवंटन अपीलान्ट की माता को किया गया था और उक्त भूमि अपीलान्ट की माता के गैर खातेदारी में दर्ज थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.08.2016 को तहसीलदार बून्दी से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल

कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील
ुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलान्ट की माता मृतक गुलाब के पक्ष में विधिवत रूप से किया गया था और उक्त आवंटन की समस्त राशि आवंटी द्वारा जमा करवा दी गई थी । यदि कोई राशि आवंटी द्वारा जमा नहीं करवाई थी तो उसके आधार पर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता बल्कि राशि जमा कराने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था अपीलान्ट सदैव बकाया राशि जमा कराने का तैयार हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.1993 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट की माता मृतक गुलाब के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 1998 आरआरडी पेज 319, आरआरडी 1994 पेज 277, आरआरडी 2000 पेज 473, आरआरडी 2004 पेज 261 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं करवाई । इस प्रकार आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों के आवंटन विक्रय नियम, 1957 की धारा 2 (झ) की पालना नहीं करने से उक्त आवंटन निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.1993 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलान्ट की माता मृतक गुलाब के पक्ष में दिनांक 04.11.1977 को किया गया था अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों के आवंटन विक्रय नियम, 1957 की धारा 2 (झ) की पालना नहीं किया जाना मानते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 निरस्त कर दिया । आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं करवाई जाने से उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को उक्त न्यायिक दृष्टांत 1998 आरआरडी पेज 319, आरआरडी 1994 पेज 277, आरआरडी 2000 पेज 473, आरआरडी

4 पेज 261 की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित झते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.1993 निरस्त किया जाता है । आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट आवंटी की बकाया राशि जमा करवा देता है तो उसे नियमानुसार खातेदारी प्रदत्त की जावे । पक्षकारान दिनांक 11.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा